

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 231] No. 231] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

सं. 23 / 2015-2020

विषयः एचएस कोडों के लिए एमईआईएस जिनके लिए दरें पूर्व प्रभाव से बढ़ायी गई थी, के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा करने हेतु प्रावधान।

फा.सं. 01/61/180/65/एएम19/पीसी—3.—विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01.04.2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 02 के द्वारा यथा—अधिसूचित परिशिष्ट—3ख, तालिका 2 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:—

2. पैरा 9.03 के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

मौजूदा पैरा 1.03 और (दिनांक 28.06.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 16 के द्वारा यथा संशोधित)	संशोधित पैरा 9.03
9.03 पूरक दावे जहां कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती करने के बाद ऐसे आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, एफटीपी 2015—20 के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप्स के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।	9.03 पूरक दावे  (i) जहां कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवदेन प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती करने के बाद ऐसे आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।  (ii) केवल कतिपय एचएस कोडों के लिए एमईआईएस के तहत पूरक दावे ग्राह्य होंगे जिनके लिए इस संबंध में जारी दिशा—िनर्देशों के आधार पर पूर्व प्रभाव से एमईआईएस के लिए दरें बढ़ायी गई हैं। ऐसे मामलों में उपर्युक्त 9.03 (i) के अनुसार 2% की दर से पूरक कटौती लागू नहीं होगी।  (iii) विदेश व्यापार नीति 2015—20 के अध्याय 3 के तहत किसी अन्य कारण के लिए कोई पूरक दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

4007 GI/2019 (1)

इस सार्वजिनक सूचना का प्रभावः एचएस कोडों के लिए एमईआईएस के तहत अतिरिक्त लाभ जारी करने से संबंधित समर्थकारी प्रावधान प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 में शामिल किया गया है जिसके लिए एमईआईएस के तहत बढ़ी हुई दरें पूर्व प्रभाव से अधिसूचित की गई थी।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### **PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 5th August, 2019

No. 23/2015-2020

Subject: Provision for claiming additional benefits under MEIS for HS Codes for which rates were enhanced with a retrospective effect.

- **F. No. 01/61/180/ 65/AM19/PC-3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Appendix 3B, Table 2 as notified vide Public Notice 02 dated 01.04.2015.
  - 2. The para 9.03 is amended as below:

Existing Para 9.03 (as amended vide Public notice 16 dated 28.06.2018)	Amended Para 9.03
9.03 Supplementary Claims	9.03 Supplementary Claims
Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement. However, no supplementary claims for scrips under chapter 3 of the FTP 2015-20 would be admissible	<ul> <li>(i) Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement.</li> <li>(ii) Supplementary claims would be admissible under MEIS, only for certain HS Codes, for which rates under MEIS have been enhanced with a retrospective effect based on guidelines issued in this regard. In such cases, the supplementary cut @2% as in 9.03 (i) above shall not be applied.</li> <li>(iii) Supplementary claim under chapter 3 of the FTP 2015-20 for any other reason would not be admissible.</li> </ul>

**Effect of Public Notice:** A provision enabling issue of additional benefits under MEIS for HS Codes, for which enhanced rates under MEIS were notified with a retrospective effect, has been incorporated in the Handbook of Procedure, 2015-20.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Secy.